

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : प.(ई)निप / (आर-1842 / 2013 / अलेसे-II / 2071

दिनांक :- 7/03/2024

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	1842	श्रीमती रेणुका स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर

उक्त अध्ययन स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.01.2022 के बिन्दु 03 में उल्लेखित राजस्थान सेवा नियम के नियम-96 में जोड़े गये परन्तुक के अनुसार देय दो वर्ष के असाधारण अवकाश स्वीकृति की सीमा एवं निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- 1 आपका अध्ययन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग में हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- 2 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 3 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 4 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।
- 6 उपरोक्तानुसार अध्ययन स्वीकृति नियमानुसार देय असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति की शर्त पर ही देय होगी।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

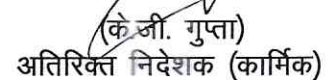
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : प.(ई)निप / (आर-1842 / 2013 / अलेसे-II / 2071

दिनांक :- 07/03/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती रेणुका स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)